न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवणसिंह राठौड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 43/2021

दायर दिनांक – 27.09.2021

निर्णय दिनांक – 22.5.24

<u>उनवान</u>

1– श्रीमती तुलसी पत्नि मणीलाल बलाई उम्र वयस्क निवासी भीलुडी तहसील सागवाडा
2– मणीलाल पिता डूंगर बलाई उम्र वयस्क निवासी भीलुडी तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्रीमती कचरी पत्नी स्व0 गौतम बलाई उम्र वयस्क निवासी भीलुडी तहसील सागवाडा।
2– श्रीमती तुलसी पत्नी लक्ष्मण बलाई उम्र वयस्क निवासी भीलुडी तहसील सागवाडा।
2– श्री लक्ष्मण पिता हीरा बलाई उम्र वयस्क निवासी भीलुडी तहसील सागवाडा
3– राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय सागवाडा।

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – राजेश कुमार बुनकर
वकील प्रतिवादीगण – एक पक्षीय
वकील प्रतिवादी संख्या 3 – पेरोकार सरकार

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 22/5/24

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 103 (नया) 146 (पुराना) के कुल किता 4 रकबा 0.3396 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भीलुडी पटवार हल्का भीलूडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में स्थित है एवं वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त खाते में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार कृषक है। वादीगण प्रतिवादीगण से कई बार कृषि भूमि के विभाजन बाबत् निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण इंकार कर आये दिन झगड़ा फसाद करने एंव उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर भूमि हड़पना चाहते है। वादीगण द्वारा मिल बैठकर उक्त भूमि का आपसी बंटवारा करने हेतु निवेदन किया गया। परन्तु प्रतिवादीगण राजी नही हुऐ। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करने के लिये एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् धारा 53,188,88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पेश किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी पत्रावली वादीगण की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा वादीगण की ओर से लिखित साक्ष्य प्रार्थना पत्र पेश किया तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख का संक्षिप्त अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम भूमि खाता संख्या 103 (नया) 146 (पुराना) के कुल किता 4 रकबा 0. 3396 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भीलुडी पटवार हल्का भीलूडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

वादीगण द्वारा चाही गयी 188 की दाद (अनुतोष) अस्वीकार की जाती है वादीगण वाद वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार दर्ज रेकार्ड है, अतः अलग से 88 के अनुतोष की आवश्यकता नही है। प्रकरण में पटवार हल्का भीलुडा के मौजा भीलुडी की खाता संख्या 101(नया) 146(पुराना) के कुल किता 4 रक्बा 0.3396 हैक्टयर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवारा करने प्रारम्भिक डिक्री अनुसार किये जाने आदेश दिया जाकर दस आशय की अन्तिम डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते विभाजन अनुसार पालना करने तहसीलदार सागवाडा को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा